कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
दूरभाष/Phone: 011-23234092, 23234093
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

फा.संख्या : ई-13/12/08/2021-ज.सं. दिनांक : 15.07.2021

प्रेस प्रकाशनी

- **श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उन संगठनों को सम्मानित किया जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान क रा बी निगम अस्पतालों का सहयोग किया।**
- **केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा- कोविड-19 के खतरे को रोकने के लिए सरकार तीन स्तरीय दृष्टिकोण पर काम कर रही है - ट्रैकिंग, परीक्षण तथा उपचार।**
- **असंगठित और गिग क्षेत्रों के कामगार अब सामाजिक सुरक्षा कोड के माध्यम से क रा बी योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम होंगे।**
- **श्री रामेश्वर तेली, माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, भारत सरकार ने क रा बी निगम की नवीनतम पहल की प्रशंसा की जिसमें "क रा बी निगम कोविड-19 राहत योजना" शामिल है।**

कोविड-19 महामारी के दौरान क.रा.बी. निगम अस्पतालों को विभिन्न संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, आम नागरिकों द्वारा सहयोग की सराहना के लिए दिनांक 15.07.21 को श्रम शक्ति भवन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। **श्री भूपेंद्र यादव,** माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और **श्री रामेश्वर तेली,** माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, भारत सरकार ने कोविड -19 के दौरान क रा बी निगम अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलिंडर, डिस्पोजेबल किट आदि का योगदान देने वाले संगठन के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। देश भर के 100 से अधिक दानदाताओं जिन्होंने क.रा.बी. निगम अस्पतालों को **13 करोड़ रुपये** से अधिक के उपकरण/किट/डिस्पोजेबल आदि का दान दिया, वे वीसी के माध्यम से समारोह में शामिल हुए।

अपने संबोधन में, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने उन संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, आम नागरिकों आदि की सराहना की और आभार व्यक्त किया जिन्होंने कोविड-19 के दौरान समाज के लिए कार्य किया । उन्होंने आगे कहा कि सरकार के समन्वित प्रयासों से देश ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण पैदा हुए स्वास्थ्य संकट पर काबू पाया ।

उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 के खतरे को रोकने के लिए तीन स्तरीय दृष्टिकोण पर काम कर रही है जो ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार है। उन्होंने बताया कि भारत अब पीपीई किट और मास्क के अग्रणी निर्माताओं में से एक है। कोविड -19 रोगियों के इलाज के लिए लगभग 40,000 वेंटिलेटर तथा 1,00,000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 39 करोड़ टीकाकरण किया जा चुका है और इस साल के अंत तक लगभग 257 करोड़ टीकाकरण पूरा हो जाएगा। उन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान क रा बी निगम अस्पतालों द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गरीब और वंचित लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है। वंचित वर्ग की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री- जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त उपचार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सहित कई कार्य शुरू किए गए है। इसी कड़ी में, सामाजिक सुरक्षा पर कोड अधिनियमित किया गया है। इस कोड के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगार और गिग अर्थव्यवस्था अब क.रा.बी.योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा कवर प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

आगे उन्होंने कहा कि भारत मानव संसाधन में समृद्ध है और कार्य बल के कौशल विकास कार्यक्रम करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नव-परिवर्तनों को बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने महामारी के दौरान क.रा.बी.निगम का समर्थन करने वाले संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए अपना सम्बोधन समाप्त किया और कहा कि अभिनंदन का यह समारोह संकट के समय राष्ट्र के प्रति सामूहिक सेवा को प्रचारित-प्रसारित करने वाला समारोह है।

श्री रामेश्वर तेली, माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, भारत सरकार ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अभिदाताओं (कंटरीब्यूटर) को बधाई देते हुए देश भर में क.रा.बी.निगम के सेवा वितरण तंत्र और पूरे देश के श्रमिक बल को इससे मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। उन्होंने क.रा.बी.निगम की नवीनतम पहल 'क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना' की प्रशंसा की जिसमें बीमाकृत कामगार की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो जाने पर उसके पात्र आश्रितजनों को मृतक बीमाकृत कामगार की औसत मजदूरी के 90% की दर पर आवधिक भुगतान किया जाता है। अभी तक रोजगार चोट के कारण बीमाकृत कामगार की मृत्यु होने पर ही औसत मजदूरी के 90% की दर पर आवधिक भुगतान देय था लेकिन अब कोविड-19 से मृत्यु को भी पात्र आश्रितों को राहत का भुगतान करने हेतु शामिल कर लिया गया है। उन्होंने मानवता की सेवा और विशेष रूप से कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट की स्थिति में सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया।

श्री अपूर्व चंद्र, सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार तथा **श्री मुखमीत सिंह भाटिया,** महानिदेशक, क.रा.बी.निगम ने सभा का स्वागत किया। श्री अपूर्व चंद्र ने कोविड-19 महामारी के दौरान समाज की सेवा में युवा उद्यमियों के मानवीय दृष्टिकोण और प्रयासों की सराहना की।

<u>भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना</u>

कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो व्यापक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ जैसे उचित चिकित्सा देखभाल के साथ रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु आदि के समय विभिन्न प्रकार के नकद लाभ प्रदान करता है। इस योजना के तहत कामगारों की लगभग 3.4 करोड़ परिवार इकाईयां व्याप्त हैं और कर्मचारी राज्य बीमा योजना अपने 13.24 करोड़ हितलाभार्थियों को अद्‌वितीय नकद हितलाभ और उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। आज, इस योजना की अवसंरचना में 1502 औषधालय (मोबाइल औषधालयों सहित)/308 आईएसएम इकाई और 160 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, 744 शाखा /भुगतान कार्यालय और 64 क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना आज देश के 34 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 566 जिलों में लागू है।

******